क्रमांक 12/62/86-2 जी. एस. I.

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी विभागाध्यक्ष, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट तथा सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश, हरियाणा।

(3) हरियाणा राज्य के सभी बोर्डज/कार्पोरेशनज के चेयरमैन/मैनेजिंग डाइरैक्टरज।

दिनांक चण्डीगढ़ 14/10/1986

विषय :— अधिकारियों द्वारा अपने नियुक्ति स्थान पर भवन निर्माण करना—पद का दुरुपयोग।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि सरकार के यह नोटिस में आया है कुछ अधिकारी अपने नियुक्ति स्थान पर मकान बनाना शुरु कर देते हैं जिससे उनके विरुध पद तथा सरकारी मशीनरी के दरुपय की शिकायतें आने लगती हैं।

2. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी मण्डलों/निगमों के सम-वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी यदि वे अपने नियुक्ति स्थान पर भ निर्माण करना चाहें तो वह इस बारे में सरकार से पूर्व अनुमति लें।

3. अनुरोध है कि यह हिदायतें आपके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों के ध्यान में ला दें और उन्हें इन हिदायतों दृढ़ता से पालन करने के आदेश दें।

4. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर यह हिदायतें लागू नहीं होंगी और उनके केसों में यादि क्रमांक 18/ लो.नि. 5(7) दिनांक 14-7-78 द्वारा जारी की गई हिदायतें लागू रहेंगी।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशास

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा

एक एक प्रति सभी वित्तायुक्त व सभी आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना एवं आवश्यक हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-

अधीक्षक, सामान्य सेवाएं—